

IN THE COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE AND COLLECTOR, JAMUI

FORM OF ORDER SHEET

विविध वाद संख्या-07/2014

हीरालाल वर्मा

बनाम

राज्य

Serial no.	Date of order or proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.03.2016	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>यह वाद हीरालाल वर्मा पिता-रामजी वर्मा ग्राम-पलसा बुजुर्ग थाना-चन्द्रदीप जिला-जमुई द्वारा लाया गया। प्रथम पक्ष अनुपस्थित हैं।</p> <p>2. विपक्षी राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जमुई का कथन है कि प्रथम पक्ष को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। प्रथम पक्ष को अपना पक्ष रखने हेतु इस न्यायालय से अंतिम अवसर प्रदान किया गया था, इसके बाद भी प्रथम पक्ष अनुपस्थित हैं। अतः प्रथम पक्ष की अभिरुचि नहीं रहने के कारण वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाय।</p> <p>3. अभिलेख का अवलोकन किया। दिनांक 09.02.2016 को इस न्यायालय से प्रथम पक्ष को अपना पक्ष रखने हेतु चेतावनी के साथ अंतिम अवसर प्रदान किया गया था, इसके बाद भी प्रथम पक्ष अनुपस्थित हैं जो यह दर्शाता है कि प्रथम पक्ष को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। अतः प्रथम पक्ष की अभिरुचि का सर्वथा अभाव रहने के कारण वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>L.C.R. निम्न न्यायालय को वापस करें।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>K...</i> 18/3/16 समाहर्ता, जमुई।</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>K...</i> 18/3/16 समाहर्ता, जमुई।</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">समाहरणालय, जमुई (विधि शाखा)</p> <p>ज्ञापांक- 448 /विधि दिनांक 19 मार्च 2016</p>	

प्रतिलिपि:- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, ई0 अलीगंज को उनके पत्रांक 58 दिनांक 23.06.2014 के द्वारा उपलब्ध कराये गये निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

693

अनुलग्नक:-यथोक्त।

D...
15/11/16
उप समाहर्ता प्रभारी,
विधि शाखा, जमुई।